



## एकलव्य मॉडल आवासीय वदियालय

### प्रलिमिंस के लयि:

एकलव्य मॉडल आवासीय वदियालय (EMRS), अनुसूचति जनजाति

### मेन्स के लयि:

भारतीय समाज के वंचति वर्गों के छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के लयि पहल, चुनौतियौं और समाधान ।

### चर्चा में क्यौं?

सरकार अनुसूचति जनजाति(ST) के छात्रों के लयि **740 एकलव्य मॉडल आवासीय वदियालय (EMRS)** स्थापति करने पर ज़ोर दे रही है ।

### एकलव्य मॉडल आवासीय वदियालय (EMRS):

- EMRS पूरे भारत में **ST के लयि मॉडल आवासीय स्कूल बनाने की एक योजना है** ।
  - इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी ।
  - इसे **जनजातीय मामलों के मंत्रालय** द्वारा कार्यान्वति कयि जा रहा है ।
  - इस योजना का उद्देश्य जवाहर नवोदय वदियालयों और केंद्रीय वदियालयों के समान स्कूलों का नरिमाण करना है, जसिमें खेल तथा कौशल वकिस में प्रशक्तिषण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लयिवशिष अत्याधुनकि सुवधिओं पर ध्यान केंद्रति कयि गया है ।
  - EMR स्कूल **CBSE पाठयक्रम का पालन करता है** ।
- वर्ष 2018-19 में, EMRS योजना के पुनरुद्धार को कैबिनेट द्वारा अनुमोदति कयि गया था ।
  - चूँकि नए दशिनरिदेश लागू कयि गए हैं, इसलयि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2021-22 तक लक्षति 452 स्कूलों में से 332 को मंजूरी दी है ।
  - नवंबर 2022 तक, कुल **688 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जनिमें से 392 कार्यात्मक हैं** ।
  - **688 में से 230 ने नरिमाण कार्य पूरा कर लयि है और 234 नरिमाणाधीन हैं, 32 स्कूल अभी भी भूमि अधगिरहण के मुद्दों के कारण अटके हुए हैं** ।

### पुराने दशिनरिदेश:

- हालौंकि केंद्र सरकार ने एक नश्चित संख्या में प्रारंभकि EMRS को मंजूरी दी थी, राज्य और केंद्रशासति प्रदेश ज़रूरत पडने पर नए स्कूलों की मंजूरी लेने के लयि ज़िमेदार थे ।
  - इन स्कूलों के लयि वतितपोषण अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान से आना था और दशिनरिदेशों में यह अनविर्य था कजिब तक राज्य, केंद्र द्वारा स्वीकृत स्कूलों का नरिमाण पूरा नहीं कर लेते, वे नए स्कूलों के लयि वतित के हकदार नहीं होंगे ।
- प्रत्येक EMRS के लयि 20-एकड़ भूखंडों की बुनयिदी आवश्यकताओं के अलावा, दशिनरिदेशों में कोई मानदंड नहीं था क EMRS कहाँ स्थापति कयि जा सकता है, इसे राज्य सरकारों के वविक पर छोड़ दयि गया ।

### नए दशिनरिदेश:

- वर्ष 2018-19 में नए दशिनरिदेशों ने केंद्र सरकार को स्कूलों को मंजूरी देने और उनका प्रबंधन करने की अधकि शक्ति दी ।
- जनजातीय छात्रों के लयि राष्ट्रीय शक्तिषा सोसाइटी (NESTS) की स्थापना की गई और उसे स्टेट एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (SESTS) का प्रबंधन सौंपा गया, जो व्यावहारकि स्तर पर EMRS को प्रबंधति करेगा ।
- इन नए दशिनरिदेशों ने प्रत्येक आदवासी उप-ज़िले में एक EMRS स्थापति करने का लक्ष्य नरिधारति कयि और उन्हें स्थापति करने के लयि एक "जनसंख्या मानदंड" पेश कयि ।

- प्रति उप-ज़िले में एक EMRS स्थापित किया जाएगा जिसमें कम से कम 20,000-अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी है और यह उस क्षेत्र की कुल आबादी का 50% होना चाहिये।
- EMRS स्थापित करने के लिये न्यूनतम आवश्यक भूमि भाप 20 एकड़ से घटाकर 15 एकड़ कर दी गई थी।

## चुनौतियाँ:

- 15 एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता:
  - स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 15 एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता भूमिकी पहचान करने और अधिग्रहण बंशिकर पहाड़ी इलाकों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में) को मुश्किल बना रही है।
- जनसंख्या मानदंड:
  - स्थायी समिति ने पाया किया कि जनसंख्या मानदंड के कारण जनजातीय आबादी के कम घनत्व वाले क्षेत्र EMRS का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
  - कभी-कभी, जब जनसंख्या मानदंड पूरे होते हैं तो 15 एकड़ के भूखंड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
- शिक्षकों की कमी:
  - NESTS की स्थापना के बावजूद शिक्षकों की कमी थी।
  - हालाँकि नए दशा-नरिदेशों ने NETS को शिक्षक भर्ती के लिए उपाय सुझाने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने राज्यों के लिये उनका पालन करना कभी अनविर्य नहीं किया।
    - इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में असमानता, पर्याप्त भर्ती नहीं होने के साथ खर्च बचाने के लिये बड़ी संख्या में स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती संवदिात्मक रूप से हुई है।
  - जुलाई 2022 तक सभी कार्यात्मक EMRS में NESTS द्वारा अनुशंसित 11,340 शिक्षकों के मुकाबले 4,000 से भी कम शिक्षक थे।

## आगे की राह

- भूमिक्षेत्रफल और जनसंख्या मानदंड के संबंध में दशा-नरिदेशों में ढील दी जानी चाहिये जिससे कम जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र भी EMRS योजना का लाभ उठा सके।
- शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये NESTS को स्कूल प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण दिया जाना चाहिये।
- साथ ही राज्यों के लिये शिक्षक भर्ती के बारे में अनविर्य दशा-नरिदेश जारी किये जाने चाहिये।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस